राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 139/2019

1. सुमन देवी पत्नी स्व. श्री रतन सिंह आयु 50 वर्ष
2. शेर सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह आयु 32 वर्ष
3. तेजसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह आयु 13 वर्ष
4. संगीता पुत्री स्व. रतन सिंह आयु 15 वर्ष नाबालिगान जरिये संरक्षक माता सुमन देवी पत्नी स्व. श्री रतन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......... वादीगण

**ब–ना–म**

1. प्रकाश देवी पत्नी स्व. फूलसिंह आयु 65 वर्ष
2. नरपत सिंह आयु 40 वर्ष
3. केशर सिंह आयु 35 वर्ष पुत्रान स्व. फूलसिंह जाति राजपूत निवासीगण गोविन्दासपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद पिपराली जिला सीकर, राज0
4. किरण कंवर पध्त्नी कान सिंह पुत्री स्व. फूलसिंह आयु ...... वर्ष निवासी जेरठी तहसील धोध जिला सीकर, राज0
5. मंजू पत्नी नोरंग सिंह पुत्री स्व. रतन सिंह आयु 25 वर्ष
6. रेखा पत्नी धोलू सिंह पुत्री स्व. रतन सिंह आयु 23 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण रामसिंह की ढाणी तन् डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
7. सविता पत्नी अशोक पुत्री स्व. रतनसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. भू स्वामी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

**दावा– रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणात्मक**

**निर्णय** **दिनांक :– 14–10–2020**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 270 खसरा नंबर 1745 रकबा 0.43 है. में वादी सं. 1 के पति वादीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 के पिता स्व. रतन सिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अन्य सहखातेदारान काश्तकार के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। वाद वर्णित भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है। उक्त भूमि में वादीया सं. 1 का पति, वादी सं. 2 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 का पिता रामरतन सिंह का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका दिनांक 15.02.2013 को देहावसान हो चुका है, राजरतन सिंह के देहावसान के बाद उसके विधिक वारिशान/ उत्तराधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 उनके हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हैं और आज भी काबिज काश्तकार के रूप में काश्त कर रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में वादीया सं. 1 के पति, वादीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 के पिता का नाम रतन सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज किया हुआ है जो गलत है। तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भी उन्हीं के नाम से चली आ रही है जबकि उनका दिनांक 15.02.2013 को देहावसान हो चुका है जबकि रामरतन सिंह का वास्तविक नाम रतन सिंह उनके आवासी दस्तावेजात एवं अन्य खातेदारी की भूमि वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 174 एवं 175 में सही नाम रतनसिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज जो कि सही व सत्य है। रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह अलग व्यक्ति नहीं है वह दोनों ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है। वाद वर्णित भूमि में रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह, नानू सिंह पुत्र सोहन सिंह व सुगन सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम हजफ किया जाना आवश्यक है तथा रामरतन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के स्थान पर उनके विधि वारशिान/उत्तराधिकारीगण वादिया सं. 1 सुमन देवी पत्नी रतन सिंह, शेर सिंह, तेजसिंह पुत्रान रतन सिंह, संगीता, मंजू, रेखा सविता पुत्रियान रतन सिंह का नाम उनके हिस्से के अनुसार राजसव रिकार्ड में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि –

(क) ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी में स्थित आराजी खसरा नंबर 270 रकबा 0.43 है. पैतृक भूमि में रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह, नानूसिंह पुत्र सोहन सिंह, सुगन सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम हजफ कर रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह के विधिक वारिशान/उत्तराधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 को उनके पति/पिता के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे!

(ख) वाद वर्णित भूमि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में दर्ज खाता संख्या 270 में रिकार्ड दुरूस्ती कर वादीगण के पति/पिता का नाम रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर रतन सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज कर उनके हिस्से की भूमि में उनके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने पर सहमति दी है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 270, खाता सं. 174, खाता सं. 175 ग्राम गोविन्ददासपुरा, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत त्यौंदा का वारिशान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रतन सिंह, नानूसिंह पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र शेरसिंह पुत्र रतन सिंह का भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 की ओर से प्रस्तु इकबाली जवाब दावा के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

S with CamScanner

# आदेश

अतः ग्राम गोविन्ददासपुरा तहसील खतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 270 जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नंबर 1745 रकबा 0.43 है. भूमि में नानूसिंह पुत्र सोहन सिंह, सुगन सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम हजफ किया जाता है। चूंकि खातेदार नानूसिंह व सुगन सिंह नाऔलाद फौत हो चुके हैं इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उक्त दोनों नाऔलाद मृतक खातेदारों का हिस्सा खातेदार फूलसिंह व रामरतन सिंह में समाहित कर रामरतन सिंह के स्थान पर उनके विधिक वारिश वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 7 को एवं खातेदार फूलसिंह के स्थान पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर ''रामरतन सिंह के स्थान पर रतनसिंह'' राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/2020

( शिवपाल जाट )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner